तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात के संलग्न किता-3 दस्तावेज पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते निर्णय आदेश एतराज प्रार्थना पत्र व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने एतराज प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका में प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 286 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 290, 291 दोनों की कुल दूरी 8 मीटर ही है के बाद भूमि खसरा नम्बर 293 गै0 मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा बिना मौके पर गये केवल मात्र काल्पनिक रिपोर्ट बसाज पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी सुमेरसिंह से मिलीभगत कर बिना कोई वास्तविकता की जॉच किये ही पेश की गई है। भूमि खसरा नम्बर 285 जो भूमि खसरा नम्बर 286 के नक्शे में ही दर्शित है को भी रास्ते [illegible] बेवजह दर्ज किया गया है तथा उक्त भूमि [illegible] का ही खातेदार है जिसे अकेले को रास्ता प्राप्त [illegible] का कोई हक न[illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट में रास्ते को लम्बा दर्शाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 182, 277, 278 का बेवजह ही अंकन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

सुमेर सिंह बनाम रामचन्द्र आदि

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्र०सं० 251 RTA | दि. - 24/2025 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

कर केवल मात्र प्रकरण में प्रार्थी पक्ष को लाभान्वित करने की बदनियति स्वरूप बराज व मिलीभगत करते हुए रिपोर्ट पेश की गई है जो वास्तविक नहीं होकर बिना किसी वजह से अदालत को मुगालता देकर पेश की गई है। भूमि खसरा नम्बर 309 में रूपपुरा गांव बसा हुआ है जिससे होकर खसरा नम्बर 293 में सीमेन्ट के ब्लॉक लगे हुए है उसके बाद खसरा नम्बर 286 में आने जाने हेतु बीच में भूमि खसरा नम्बर 290, 291 पडते है इन दोनों खसरा नम्बरों की खसरा नम्बर 286 से दूरी केवल मात्र 8 मीटर ही है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रिपोर्ट बनाते वक्त अप्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई है ना ही अप्रार्थीगण पक्षकारान् को कोई जानकारी ही रही है। इसलिए वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 को निरस्त कर पुनः रिपोर्ट मॅगवाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी सुमेर सिंह के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 286 आई है जिसमें उसने मकान बनाकर आबाद है तथा उक्त भूमि को तन्हा तौर पर काश्त कर रहा है। प्रार्थी सुमेर सिंह के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कृषि भूमि खसरा नम्बर 878/174 तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास की पश्चिमी तरफ उक्त खेत में 3 मीटर चौडा रास्ता जो एकमात्र रास्ता है। जिससे ही प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ता मात्र 20 मीटर लम्बाई का है। जिसकी डीएलसी रेट से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को देने हेतु प्रार्थी तैयार है। इससे कोई विवाद नहीं रहेगा। पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अप्रार्थीगण के सामने मौके पर जॉच कर वास्तविक रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है। भूमि खसरा नम्बर 286 के नजदीक सिवायचक भूमि में मौके पर को[illegible] रास्ता नहीं है। उक्त भूमि पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा है तथा उसकी [illegible] 56 मीटर की दूरी होना तहसीलदार ने रिपोर्ट में अंकित किया है। अप्रार्थीगण ने मात्र प्रकरण को देरीना करने की वजह से एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जाकर प्रार्थी को धारा 251 (ए) में चाहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:30:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

मध्ये वर्णित रास्ता जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जाँच रिपोर्ट में दर्शित किया है। उसी अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पर गौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 286 मे आवागमन हेतु कोई रास्ता थोई से रूपपुरा उदलवास की सडक से नहीं होना प्रकट होता है। खसरा नम्बर 290 व 291 मे से कोई रास्ता सिवायचक से होकर नही जाना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। खसरा नम्बर 182, 277, 278, 292 में वर्णित गै0 मु0 रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 286 तक जाने हेतु क्रमशः सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 291 मे 4 मीटर, खसरा नम्बर 285 में 8 मीटर, खसरा नम्बर 290 में 44 मीटर इस प्रकार कुल दूरी 56 मीटर बनती है लेकिन वर्तमान में इन सिवायचक खसरा संख्या मे आवेदक की भूमि तक जाने हेतु कोई रास्ता चालू नहीं होना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त एतराज प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थी के आवागमन हेतु कौनसा रास्ता लघुत्तम व निकटतम है तथा कौनसा रास्ता दीर्घत्तम है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को देरीना करने व लम्बा खीचनें की वजह से पेश किया जाना प्रकट होता है। जो स्वीकार किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज बाबत रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर पर अस्वीकार कर खारीज की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रार्थी ... अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी ... वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने बाहमी बंटवारा में आई अपने हक हिस्सा व खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.6800

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये

प्रा० पत्र 251 RTA [illegible] प्रक.नं. 24/2022

हैक्टर तन ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका एवं उसमें बने पुख्ता रिहायशी मकानात में आवागमन का एकमात्र रास्ता 3 मीटर चौडाई एवं 60 फुट लम्बाई का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 1.5300 हैक्टर में से रास्ता चाहा गया है तथा उक्त रास्ता कदीम से चले आने तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में बुआई जुताई हेतु साधन के आने जाने का रास्ता होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब इत्यादि पेश नहीं किया गया है एवं ना ही प्रार्थी के आवागमन हेतु कौनसा रास्ता लघुत्तम व निकटतम है तथा कौनसा रास्ता दीर्घत्तम होकर ज्यादा सुलभ है बाबत कोई अंकन नहीं किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1701/राजस्व/2025 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी को अपने निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एव ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है जो खसरा नम्बर 878/174 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर 286 तक निकटतम रास्ता बनता है। भूमि खसरा नम्बर 878/174 रकबा 0.8925 हैक्टर किस्म बारानी 2 में से रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित रकबा 0.006 हैक्टर में रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले 0.006 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 15348/- रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार तीन सौ अडतालीस रूपये होती है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता एंव प्रस्तावित रास्ते की कुल [illegible] लम्बाई व 3 मीटर चौडाई में है। थांई [illegible] गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 18[illegible] आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 286 तक जाने हेतु कमशः सिवाय [illegible] भूमि खसरा नम्बर 291 में 4 मीटर, खसरा नम्बर 285 में 8 मीटर, खसरा नम्बर 290 में 44 मीटर कुल दुरी 56 मीटर बनती है लेकिन वर्तमान में इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

शिकायतक खसरा नम्बरान मे से आवेदक की भूमि तक जाने कोई रास्ता चालू नही होने बाबत अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानो के सम्बन्ध में एव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थी ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 3 मीटर की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थी के पास, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम/लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थी से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है, के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग मे आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष मे जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.6800 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 878/174 रकबा 0.8925 हैक्टर में से 0.006 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में काम आने वाले सम्पूर्ण रक्बे की भूमि का वर्तमान बाजार दरों की सिंचित दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ... में जमा ली जानी है। उक्त रास्ता ... प्रस्तावित मौका जॉच रिपोर्ट मय ... रिपोर्ट में दर्शित 3 मीटर चौडाई व 20 मीटर लम्बाई की भूमि, ... गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

इजलास उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रकरण 251 RTA ...

मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। चूंकि रास्ते में ... वाली भूमियाँ बिला नाम सरकार किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थी को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 878/... में दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थी से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:04 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)